


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर संशोधित-आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या -शिविरा/मा/संस्था/सी-2/सेवानिवृत्ति/17 दिनांक 16.03.2017 एवं शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31853 सेवानिवृत्ति/2011-13 दिनांक 09.03.2017 द्वारा निम्नलिखित व्याख्याताओं के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम	पदस्थापन स्थान	पूर्व आदेश में अंकित त्रुटि	संशोधन जो किया जाना है
1.	कानसिंह बागड़, व्या0, इतिहास	राउमावि, पाली	सेवानिवृत्ति तिथि 31.03.1958	31.03.2018
2.	जगदीश प्रसाद छीपा, व्या0, वाणिज्य	राउमावि, फलौदी, जोधपुर	सेवानिवृत्ति तिथि 31.08.2017	31.07.2017
3.	लक्ष्मीनाथ - देवड़ा, व्या0, इतिहास	राउमावि, कैरू, जोधपुर	कार्मिक का नाम लक्ष्मीनारायण देवड़ा अंकित है	लक्ष्मीनाथ देवड़ा

शेष शर्तें मूल आदेश के अनुसार ही रहेंगी।


 संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर


क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृत्ति/2016-17 दिनांक:- 11/4/2017
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- (2) संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- (3) सम्बन्धित उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- (4) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- (5) सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र -6 प्राप्त कर अंतिम अर्देय प्रमाण पत्र जारी करें।

(6) संबन्धित प्राध्यापक।

(7) रक्षित पत्रावली।

✓ (8) कम्प्यूटर अनुभाग


 संयुक्त निदेशक(कार्मिक)